

①

कार्यालय:- संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ
पत्रांक / माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग / / 2016-17 दिनांक
आंशिक संशोधन आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या-3067/मंसो(174)/2016 माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग मेरठ दिनांक 27-06-2016 द्वारा गौर इण्टरनेशनल स्कूल, प्लॉट नं०-जी०एच०-03, सैक्टर-16, सी-गौर सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर को सी०वी०एस०सी०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 27-06-2016 में अंकित विद्यालय के नाम में इस सीमा तक आंशिक संशोधन किया जाता है कि " गौर इण्टरनेशनल स्कूल, प्लॉट नं०-जी०एच०-03, सैक्टर-16, सी-गौर सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर" के स्थान पर "गौड़स इण्टरनेशनल स्कूल (GAURS INTERNATIONAL SCHOOL) प्लॉट नं०-जी०एच०-03, सैक्टर-16सी, गौड़ सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर" पढ़ा जाय।

डॉ०(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

पुंसो/माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग / 3067-66 / 2016-17 तद दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली।
- (2) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (3) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- (5) प्रबन्धक, गौड़स इण्टरनेशनल स्कूल, प्लॉट नं०-जी०एच०-03, सैक्टर-16सी, गौड़ सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर।

Arjun Singh

Arjun Singh

MANAGER

GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)

Shuchi Sinha

डॉ०(महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल, मेरठ।

PRINCIPAL

GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)



27/11/16

प्रेषक,

डॉ० महेन्द्र देव,
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

मेरठ दिनांक : 27-06-2016

विषय :- गौर इण्टरनेशनल स्कूल, प्लॉट नं०-जी०एच०-03, सेक्टर-16, सी-गौर
सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर को सी०बी०एस०ई०, नई
दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक
14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 21-06-2016 में लिये गये
निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय
लिया गया :-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (5) फीस उन्ही मर्दों में चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थिति ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी/भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मर्दों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।
- (6) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

AM 27/6/16
NOC/performa/17

MANAGER

GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)

AM 27/6/16



PRINCIPAL
GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)
PRINCIPAL
GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)

Shuchi Sinha

- (10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।
- (12) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।
- (13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ0(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या-3067/मंस0(174)/2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (2) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- (3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- ✓(6) प्रबन्धक, गौर इण्टरनेशनल स्कूल, प्लॉट नं0-जी0एच0-03, सैक्टर-16, सी-गौर सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जनपद गौतमबुद्धनगर।

डॉ0(महेन्द्र देव)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।


MANAGER
GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)

MANAGER

MANAGER

PRINCIPAL
GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)

PRINCIPAL
GAURS INTERNATIONAL SCHOOL
GREATER NOIDA (WEST)



NOC/performa/18